

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:-प.1(175)एम.ई/ग्रुप-1/2007

जयपुर, दिनांक 21/2/18

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ प्रदर्शक, माइक्रोबायोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रु. 5400/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ.14(1)एफडी/रूल्स/2013 दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियम पारिश्रमिक रूपये 22,180/-प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उसके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

| क्र०सं० | अभ्यर्थी का नाम | मेरिट संख्या | जन्म तिथि | वर्ग | पदस्थापन स्थान |
|---------|---|--------------|------------|-------|--------------------------|
| 1 | सुप्रिया सिंह राजवी पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह राजवी वार्ड नं. 23, नई आबादी, रावतसर रोड कल्याण भूमि के पास भभूता कॉलोनी, आलसर हाउस, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़- 335513 | R-1 | 11.02.1989 | GE,WE | मेडिकल कॉलेज, बीकानेर |
| 2 | रान्जू पन्नू पुत्री श्री सोहन लाल पन्नू मेघवालों का मौहल्ला, चौतीना कुवां के पास, भीनासर, बीकानेर-334403 | R-21 | 07.08.1990 | SC,WE | मेडिकल कॉलेज, बीकानेर |

म.ई.डी.

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक प. 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन करवा लिया गया है। अभ्यर्थी की जन्म तिथि उसके सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर0 पी0 एस0 सी0 से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।


यह नियुक्ति इस शर्त के अधधीन होगी:-

“ These appointment are subject to the decision of SBCWNO 8123/2017”

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन निबन्धकों एवं शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन होगी।

आदेश से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीयय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2.निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, को उनके पत्रांक एफ.7(34)भर्ती/गोपनीय/2014-15/455 दिनांक 8.02.2018 के संदर्भ में।
- 4.अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
- 5.प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
- 6.संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 7.रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

सहायक शासन सचिव